कार्यालय :-- जिला मलेरिया पदाधिकारी धनबाद

सदर अस्पताल कैम्पस, कोर्ट मोड़, धनबाद–826001

अति अल्पकालिन निविदा

देवघर से मच्छरदानी (प्रति बण्डल का वजन लगभग –30 किलोग्राम) का उठाव कर धनबाद जिलान्तर्गत टुण्डी, गोविन्दपुर, तिलैया, बलियापुर, राजगंज, तोपचांची एवं बाघमारा के प्रा0स्वा0 केन्द्रों/अति0प्रा0स्वा0 केन्द्रों के भण्डार में भण्डारण एवं संबंधित भण्डार से मच्छरदानी वितरण किये जाने वाले स्थलो पर परिवहन हेतु इच्छुक ट्रान्सपोर्टरों से मुहरबंद निविदा सिर्फ निबंधित/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि :– 03.11.2020 अपराह्न 5.00 बजे तक।
2. निविदा खोलने की तिथि :– 04.11.2020 अपराह्न 12.30 बजे सिविल सर्जन कार्यालय धनबाद।
3. तकनीकि निविदा के साथ सलंग्न रहने वाले अभिलेख जिनके आभाव में निविदा रद्य की जा सकती है :– क) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न होना चाहिए।
   ख) पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न होना चाहिए।
   ग) अध्यतन आयकर रिटर्न फाईल करने संबंधी अभिलेख की छायाप्रति।
   घ) प्रतिष्ठान काली सूची में नहीं है एवं सभी आरोपो से मुक्ति संबंधी नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र की मूल प्रति।
4. निविदा दो प्रकार की होगी :–

(क) तकनीकि निविदा :– इसमें कमांक 03 में अंकित सभी अभिलेख की छायाप्रति सलंग्न होना चाहिए।

(ख) वित्तीय निविदा – इसमें देवघर भण्डार से मच्छरदानी का उठाव कर धनबाद जिलान्तर्गत उपरोक्त वर्णित प्रा0स्वा0 केन्द्रों/अति0प्रा0स्वा0 केन्द्रों के भण्डार में भण्डारण हेतु कम्प्युटरीकृत परिवहन दर–10 (दस) पहिया ट्रक, एल0टी0पी0, 407 ट्रक, पीकप भैन, चार पहिया मालवाहक टेम्पो एवं तीन पहिया मालवाहक टैम्पो का प्रति किलोमीटर का दर तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग का दर प्रति बण्डल अलग–अलग (कर सहित) अंकित होना चाहिए।

5. उक्त दोनो निविदा अलग–अलग लिफाफे में मुहरबंद कर लिफाफे के उपर कमशः तकनीकि निविदा एवं वित्तीय निविदा तथा निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता अंकित होना चाहिए। तत्पश्चात् दोनो लिफाफा एक बड़ा लिफाफा में मुहरबंद होना चाहिए।
6. निविदा में उपरोक्त किसी भी शर्त के अपूर्ण रहने अथवा आवश्यक प्रमाण पत्र सलंग्न नहीं रहने पर निविदा स्वतः रद्य मानी जाएगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
7. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि किसी एक निविदा या सभी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से बिना कारण बताये रद्य किया जा सकेगा।
8. मच्छरदानी ढुलाई हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों, चालक सहित का सभी प्रकार का अभिलेख नियमानुसार वैद्य होना चाहिए
9. न्यूनतम दूरी वाले मार्ग से सामग्री की ढुलाई करना अनिवार्य होगा।
10. उक्त अंकित सभी प्रकार के वाहनों का परिवहन दर अलग–अलग अंकित करना अनिवार्य होगा।
11. परिवहन राशि का भुगतान मच्छरदानी उठाव स्थल से गन्तव्य (Destination) स्थल तक का किलोमीटर के अनुसार देय होगा।
12. भुगतान हेतु प्रस्तूत किये जाने वाले विपत्र के साथ प्रत्येक वाहन का लॉगबुक सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
13. किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र धनबाद होगा।

21/10/2020

जिला मलेरिया पदाधिकारी

धनबाद।